

डिक्री बमुकदमें ईव्त्दाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 639/2025

आदित्य पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(वादी)

बनाम

- 1.रामलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी
- 2.इंद्रा पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी
- 3.मुन्नीदेवी पत्नी बृजलाल जाति जाट सा.12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी
- 4.सुमन पत्नी अंग्रेजसिंह जाति जाट सा. 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी
- 5.आरजू पुत्री अंग्रेजसिंह जाति जाट सा. 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी
- 6.अरमान पुत्र रामलाल जाति जाट सा. 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते यह एकिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर बेरड़ एव श्री नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 14 एमजेडी के खाता संख्या 77 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 एवं चक 14 एमजेडी के खाता संख्या 117/75 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में मृतक बृजलाल पुत्र हजारीराम के नाम दर्ज आराजी एव चक 14 एमजेडी के खाता संख्या 132/51 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज आराजी का वादी आदित्य को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त चक के उक्त खातो से मृतक बृजलाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....  
अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 1.7.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया